

# Registration

## MPVAT REGISTRATION

### LIST OF REQUIREMENTS

1. Registration Form under MP VAT Act and CST Act
2. Affidavit
3. MPVAT Challan Receipt of Rs. 500/-
4. Memorandum & Articles/Partnership Deed (self attested)  
(3 copies)
5. Certificate of Incorporation
6. PAN/ PAN application of the firm/company
7. Board Resolution authorizing a person to sign the application forms and other documents and to appear before tax authorities and to appoint a counsel.
8. Bio-data of Directors/Partners/Karta/Proprietor duly signed by them.
9. Identity proof and address proof of all Directors/Partners/Karta/Proprietor (a. and any two of the rest):
  1. PAN Card (compulsory)
  2. Driving License
  3. Passport
  4. Voter ID card
  5. Bank Passbook with photo
10. Rent Agreement/Lease Agreement/Sale Deed of factory premises/Showroom/Godown/Business Place duly stamped as per Stamp Act
11. Bank account details of the company/firm/HUF/proprietorship
12. Passport size photographs of all directors/partners/karta/proprietor (2 each)
13. Copy of DIC Registration/ Drug License/ Mandi License/ Food License/ Other license as applicable to the business
14. Copy of Municipal License/Permission from Gram Panchayat

(if not available, copy of application)

15. Copy of Registration under Shop & Establishment Act
16. Evidence of immovable properties owned by directors/partners/karta/proprietor
17. Evidence of Electricity connection in case of industrial establishment
18. In case of old companies, audit reports of last three years
19. Income-tax return of proprietor/partners/company
20. First Purchase and sale bill.
21. Details of interest in other businesses.
22. In case of contractor, copy of work order(s) in hand (if any)
23. Letter of Authority

Please refer to the following circular issued by Commissioner of Commercial Tax for reference.

कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश

क्रमांक 2/2010-11/30/पंद्रह/564

इन्दौर, दिनांक : 21 नवम्बर, 2011

प्रति,

वृत्त प्रभारी सहायक आयुक्त/  
वाणिज्यिक कर अधिकारी (समस्त),  
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

विषय:- पंजीयन प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन के साथ सहपत्र प्राप्त करना।

विभिन्न कर सलाहकार संघों द्वारा यह जानकारी में लाया गया है कि वृत्त कार्यालयों में प्रस्तुत पंजीयन आवेदन के साथ अलग-अलग प्रमाण एवं कागजात चाहे जा रहे हैं, जो उचित नहीं हैं। दैट अधिनियम की धारा 17 सहपठित नियम 11 एवं फार्म-6 के अंत में उल्लेखित सहपत्रों की चेक लिस्ट के अनुरूप निर्धारित सहपत्र ही मांगे जाना अपेक्षित है। प्रांतीय पंजीयन हेतु व्यवसाई द्वारा हस्ताक्षरित फार्म-6 पूरा भरा हुआ होना चाहिए। इस आवेदन के साथ निम्न कागजात की ही अपेक्षा की जानी चाहिए-

1. फार्म-6 में दी गई जानकारी की सत्यता का व्यवसाई द्वारा शपथ पत्र (आवेदन के साथ अनिवार्य)
2. पंजीयन शुल्क संबंधी रू. 500 के चालान की प्रति (आवेदन के साथ अनिवार्य)
3. आवेदक व्यवसाई/कर्ता/समस्त भागीदार/किसी संचालक के अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो (आवेदन के साथ अनिवार्य)
4. व्यवसाय स्थल संबंधी प्रमाण (स्वामित्व संबंधी प्रमाण/किराया अनुबंध/अनुमति पत्र आदि) की प्रति (आवेदन के साथ अनिवार्य)
5. पहचान प्रमाण (जैसे पासपोर्ट/मतदाता परिचय पत्र/राशन कार्ड/ड्राईविंग लायसेंस/फोटोयुक्त बैंक बचत खाता की पासबुक आदि में से कोई दो) की प्रति।
6. चालू बैंक खाते के प्रमाण की प्रति।
7. नगर निगम द्वारा जारी लायसेंस /आवेदन की प्रति।
8. गुमाश्ता स्थापना पंजीयन की प्रति (श्रम विभाग द्वारा जारी)।
9. अचल संपत्ति, यदि कोई हो तो उसके प्रमाण की प्रति।
10. निर्माता होने की स्थिति में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (डी.टी.आई.सी.) या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पंजीयन प्रमाणपत्र/आवेदन की प्रति (यदि व्यवसाई प्रस्तावित निर्माता हो तो आवेदन के साथ यह पंजीयन एवं भूमि आवंटन संबंधी प्रमाण अनिवार्य)
11. उद्योग वाले पंजीयन में विद्युत संयोजन का प्रमाण पत्र।
12. केन्द्र शासन के किसी विभाग/म.प्र. शासन के किसी अन्य विभाग में पंजीकृत हो तो उस विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति जैसे दवा व्यवसाई होने की स्थिति में ड्रग लायसेंस/आवेदन की प्रति।
13. भागीदारी फर्म होने पर भागीदारी विलेख (रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड) की प्रति।
14. कंपनी होने पर सर्टिफिकेट आफ इनकॉर्पोरेशन, मैमोरेंडम एव आर्टिकल तथा बोर्ड रिजॉल्यूशन की प्रति।
15. फैक्ट्री, शाखा, गोदाम होने पर संबंधित प्रमाण की प्रति।
16. लिमिटेड कंपनी यदि पूर्व से रजिस्टर्ड हो तो विगत 3 वर्ष की बैलेन्सशीट।
17. पैन कार्ड की छाया प्रति।
18. पूंजी निवेश के साक्ष्य के रूप में आयकर विवरणी व गणना पत्रक तथा ऋण प्राप्त होने संबंधी साक्ष्य।
19. प्रथम कय विक्रय बीजकों की प्रतियां।
20. अन्य व्यवसाय में हित निवेश संबंधी तथ्य के सत्यापन हेतु प्रस्तुत विवरण पत्रों की अंगीस्वीकृतियों की प्रतियां।
21. व्यवसाई के निवास स्थल से संबंधित प्रमाण (किसाये/स्वयं/माता-पिता का)
22. फार्म-6 में दर्शाये गये अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की सत्यता संबंधित प्रमाण पत्र।

उक्त सहपत्र व्यवसाई द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। कतिपय अधिकारियों द्वारा दो पंजीयत व्यवसाईयों के प्रमाण पत्र पृथक से लिए जा रहे हैं, जबकि नियमानुसार यह